(लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 2016 को पारित रूप में)

<u>2016 का विधेयक संख्यांक 216-सी</u>

[दि फैक्ट्रिज (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

कारखाना अधिनियम, 1948
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1948 का 63

2. कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (त) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 64 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 64 में,--

(क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (iv) में, "पचास" शब्द के स्थान पर, "सौ" शब्द रखा जाएगा ;

(ग) उपधारा (5) में, "बनाए गए नियम" शब्दों के स्थान पर, "कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से पहले बनाए गए नियम" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 65 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 65 में,--

(क) "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के खंड (iv) में, "पचहत्तर" शब्द के स्थान पर, "एक सौ पन्द्रह" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मुख्य निरीक्षक, आदेश द्वारा, लोक हित में एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या को एक सौ पचीस तक और बढ़ा सकेगा ।"।

धारा 115 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 115 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।"।

GMGIPMRND—2398LS(CRC)—10-8-2016.